HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10431/2026
URN: CRLMB / 19341U / 2026

Babloo S/o Bhairu Lal, Aged About 20 Years, R/o Bhakrawda, Police Station Kawai, District Baran (Rajasthan) (At Present Confined In District Jail, Baran)

----Accused-Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Girish Khandelwal Ms. Swati
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP Mr. Ramesh Chand, C.I., Kishangarh Dist. Baran

---

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI
Order

21/07/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना बारां सदर जिला बारां में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 154/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त बबलू दिनांक 25.06.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है। उससे कोई बरामदगी किया जाना शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के साथ अन्य 2 व्यक्तियों के संयुक्त कब्जे से 7.835 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा मिला है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम मात्रा का है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं रहा है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि यद्यपि यह सही है कि प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य अभियुक्त के संयुक्त कब्जे से जो मादक पदार्थ मिला है वह वाणिज्यिक मात्रा से कम है, परंतु प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त बबलू व अन्य के संयुक्त कब्जे से जो मादक पदार्थ बरामद हुआ है, वह वाणिज्यिक मात्रा से कम मात्रा का है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 25.06.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी किया जाना शेष नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **बबलू पुत्र भैंरूलाल** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को अनुपालना हेतु भेजी जावे तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP (Criminal) No.

04/2021 In Re Policy Strategy for Grant of Bail & SLP (Cri.) No. 529/2021 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2023 की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त को सूचित करने हेतु इस आदेश की प्रति संबंधित कारागृह को जरिये ईमेल प्रेषित की जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /32